





फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 18.09.2023

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



दिनांक 18.09.23 को थाना कमालगंज क्षेत्र से 05 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. मदनपाल सिंह पुत्र रघुराई यादव निवासी ग्राम कुण्डपुरा थाना कमालगंज सम्बन्धित वाद सं0 136/15 धारा 3/25 A ACT तारीख पेशी 22.09.23 सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान ACJM फर्रुखाबाद, 2. आनन्द कुमार पुत्र चेताराम निवासी ग्राम उबरी खेडा थाना कमालगंज सम्बन्धित वाद सं0 256/21 धारा 498A/323/504/506 भादवि0 तारीख पेशी 29.09.23 मा0 न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली फर्रुखाबाद, 3. बेचेलाल पुत्र झब्बूलाल निवासी ग्राम पूरनपुर दरौरा थाना कमालगंज सम्बन्धित वाद सं0 705/2021 धारा 138 (1)(B) भादवि अधि0 तारीख पेशी 10.10.23 सम्बन्धित न्यायालय विशेष न्याया0 आवश्यक वस्तु अधिनियम फर्रुखाबाद (उ0प्र0), 4. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राघवेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम खुदागंज थाना कमालगंज सम्बन्धित वाद सं0 1840/18 धारा 279/337/304A IPC तारीख पेशी 20.10.2023 सम्बन्धित न्यायालय CJM फर्रुखाबाद उ0प्र0, 5. भोला शंकर पुत्र रामस्वरूप चिक निवासी मो0 आजाद नगर कस्बा व थाना कमालगंज सम्बन्धित वाद सं0 4006/12 धारा 384 IPC तारीख पेशी 08.10.23 सम्बन्धित न्यायालय ACJM फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मदनपाल सिंह पुत्र रघुराई यादव निवासी ग्राम कुण्डपुरा थाना कमालगंज
2. आनन्द कुमार पुत्र चेताराम निवासी ग्राम उबरी खेडा थाना कमालगंज
3. बेचेलाल पुत्र झब्बूलाल निवासी ग्राम पूरनपुर दरौरा थाना कमालगंज
4. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राघवेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम खुदागंज थाना कमालगंज
5. भोला शंकर पुत्र रामस्वरूप चिक निवासी मो0 आजाद नगर कस्बा व थाना कमालगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मदनपाल सिंह पुत्र रघुराई यादव उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 473/08 धारा 379/506 भादवि थाना कमालगंज
2. मु0अ0सं0 112/15 धारा 3/25 A आर्मस एक्ट थाना कमालगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र चेताराम उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 122/18 धारा 323/498(A)/504/506 भादवि थाना कमालगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बेचेलाल पुत्र झब्बूलाल उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 240/18 धारा 138(B) भादवि अधि0 थाना कमालगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राघवेन्द्र गुप्ता उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 589/17 धारा 279/337/304A भादवि थाना कमालगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भोला शंकर पुत्र रामस्वरूप चिक उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 13/08 धारा 384 भादवि थाना कमालगंज

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द शर्मा
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
3. का0 शिवकुमार
4. का0 अर्जुन सिंह यादव
5. का0 संजीव कुमार
6. का0 सचिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

थाना कलान

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1 बुध्दपाल पुत्र गोकर्न 2 रामसनेही पुत्र बाबूराम 3 रामरहीस पुत्र मुन्शीलाल समस्त नि० तिलैया थाना कलान जनपद शाहजहांपुर मु०अ०सं०- 166/1997 वाद सं०- 65/1998 धारा 302,201,34,120 भादवि थाना फर्रुखाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.09.2023 को मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1. बुध्दपाल, 2. रामसनेही, 3. रामरहीस उपरोक्त को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



पैरोकार का० सुनील कुमार

FATEHGARH POLICE

   @fatehgarhpolice



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 18.09.2023

**थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 224/23 धारा- 379/411 भादवि में
वांछित अभियुक्त को 02 अदद मोबाइल (कम्पनी टेक्नो व इन्फिनिक्स) सहित
किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान वांछित अभियुक्त अभिषेक दुबे पुत्र ओमदत्त दुबे निवासी गंगानगर कालोनी शिव गली थाना कादरीगेट को लाल गेट (झरना के पास) से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 02 अदद मोबाइल कम्पनी टेक्नो व इन्फिनिक्स बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभिषेक दुबे पुत्र ओमदत्त दुबे निवासी गंगानगर कालोनी शिव गली थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त अभिषेक दुबे पुत्र ओमदत्त दुबे निवासी गंगानगर कालोनी शिव गली थाना कादरीगेट ने बताया की साहब मैं बस स्टैण्ड फर्रुखाबाद के पास चोरी कर लेता हूँ। शेष अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद मोबाइल (कम्पनी टेक्नो व इन्फिनिक्स)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिषेक दुबे उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 224/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कादरीगेट ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 जगदीश वर्मा
2. हे0का0 धर्मवीर सिंह
3. का0 सुरेन्द्र पाल

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक :- 18.09.2023

जस्ट डायल एप्प के माध्यम से लोडिंग एवं परिवहन करने के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्टेशन से भोले-भाले ग्राहकों को झांसे में लेकर साइबर फ्राड करने वाले प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फरुखाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जस्ट डायल एप के माध्यम से लोडिंग एवं परिवहन करने के लिए अंतर्जनपदीय व अन्तर्राज्यीय ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान वाले जस्ट डायल एप्प पर लॉगिन करके साइबर फ्राड करने वाले प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



थाना स्थानीय पर दिनांक 15.08.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 353/23 धारा 420/467/406 भादवि व 66सी/66डी आईटी एक्ट में निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद मय पुलिस बल द्वारा प्रकाश में आये साइबर ठग अभियुक्त अमृतांश पुत्र राजीव कुमार यादव निवासी मुजहा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को आज दिनांक 18.09.2023 को मसेनी तिराहा थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से अधिकृत एप्प के क्लोन बनाकर तथा जस्ट डायल एप्प के माध्यम से ग्राहक की जानकारी व जस्ट डायल एप्प पर डायल किये गये मो0 नं0 को क्लोन कर तुरंत उस मो0नं0 पर फर्जी तरीके से प्राप्त किये गये सिम के माध्यम से अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए अपने आप को जस्ट डायल एप्प का कर्मचारी बताते हुए उस मो0नं0 से इंस्ट्रक्शंस फालोअप करने को कहते हैं और ग्राहकों से सेवा देने का झूठा आश्वासन देते हुए टोकन मनी/अग्रिम धनराशि के नाम पर QR कोड भेजकर भुगतान करने को कहते हैं। भोले-भाले ग्राहक हम लोगों के झांसे में आकर अग्रिम धनराशि हमारे द्वारा प्रेषित किये गये QR कोड पर भेज देते हैं उसके बाद हम लोग अपनी सर्विस को चालाकी एवं छल से डिएक्टिवेट कर देते हैं इसी तरह अन्य दूसरे लोगों को अपने जाल में फसाते हैं। हम लोगों ने अभी तक इसी प्रकार जालसाजी व फर्जीवाड़ा कर करीब साढ़े तीन से 4 करोड़ रुपये की सम्पत्ती अर्जित की है उपरोक्त धन से हम लोग अपने मंहगे शौक मंहगी गाडियाँ रखकर लग्जरी जीवन व्यतीत करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अमृतांश पुत्र राजीव कुमार यादव निवासी मुजहा थाना अमृतपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त अमृतांश का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0- 353/23 धारा 420/467/406 भादवि व 66सी/66डी आईटी एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम :-

1. निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद
2. का0 हिमांशू
3. का0 तेजवीर सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।